संख्या- 246/2017/246/21-3-2017-18/2016

प्रेषक,

आद्यादत्त त्रिपाठी
अनुसचिव(भाषा),
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान,
नया हैदराबाद,लखनऊ।

भाषा अनुभाग-3 लखनऊ, दिनांक: 22 सितम्बर, 2017

विषय:- उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान को वित्तीय वर्ष 2017-18 के वचनबद्ध कार्यकलापों एवं योजनाओं हेतु गैर वेतन मद में लेखानुदान के पश्चात् रुपये 5.42 लाख की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान के वचनबद्ध कार्यकलापों एवं योजनाओं के संचालन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्रथम पांच माह हेतु लेखानुदान अवधि में शासनादेश संख्या -80/21-3-2017-18/2016 द्वारा **रू0 17.08लाख (रूपये सत्रह लाख आठ हजार मात्र)** की स्वीकृति प्रदान की गयी थी । उक्त के क्रम तथा वित्त (आय-व्ययक ) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03 अगस्त , 2017के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान को चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में शेष अवधि में वचनबद्ध कार्यकलापों एवं योजनाओं के सञ्चालन की आवश्यकता हेतु गैर -वेतन मद में प्रावधानित कुल रुपये 45.00 लाख (रुपये पैंतालीस लाख मात्र )में से लेखानुदान अवधि के लिए स्वीकृत धनराशि रुपये 17.08लाख के समायोजन के पश्चात् प्रथम किश्त के रुप के **रू0 5.42 लाख (रूपये पांच लाख बयालिस हजार मात्र)** की धनराशि को निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

**(1)** उपरोक्त स्वीकृत धनराशि राजकोष से आवश्यकतानुसार आहरित करके नियमानुसार सक्षम अधिकारी की सहमति से व्यय की जायेगी। उक्त लेखा अनुदान की धनराशि उ0प्र0 संस्कृत संस्थान द्वारा आहरित की जाएगी और उसका बिल अनुसचिव/आहरण वितरण अधिकारी, भाषा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि के किसी अंश का व्यय किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा तथा आहरित धनराशि को किसी भी दशा में बैंक अथवा डाकघर में जमा नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त स्वीकृत धनराशि वचनबद्ध मदों पर एवं समय-समय पर जारी मितव्ययिता सम्बन्धी दिशा-निर्देशों तथा वित्त (आय-व्ययक ) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक-2 जनवरी, 2017 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या- 8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03 अगस्त , 2017 के दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत व्यय की जायेगी तथा उक्त

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

स्वीकृत धनराशि को एक माह की आवश्यकता के अनुसार प्रतिमाह आहरित किया जायेगा। यदि किसी माह में एक माह की धनराशि का आहरण नहीं हो पाता है तो अगले माह में दो माह की धनराशि एक साथ आहरित की जा सकती है। संस्थान में लम्बित आडिट आपत्तियों का निस्तारण शीघ्र सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त अनुदान पर वही नियम लागू होंगे जो वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के अध्याय-16 ए में उल्लिखित नियमावली में दिये गये हैं।

(3) उपरोक्त धनराशि का व्यय विवरण प्रत्येक माह शासन को अवश्य उपलब्ध कराया जाय ।इसके अतिरिक्त उपभोग प्रमाण-पत्र दिनांक: मार्च, 2018 तक एवं आडिट की अद्यतन स्थिति से भी शासन को अवगत कराया जाय ।

2- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के **अनुदान संख्या-** 039 **लेखा शीर्षक** 2202-सामान्य शिक्षा -आयोजनेत्तर -03-विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा -104-अराजकीय कालेजों और संस्थानों को सहायता -06-उ.प्र. संस्कृत संस्थान को अनुदान -मानक मद 20 - लेखा अनुदान - सामान्य ( गैर -वेतन) के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 1/2017/बी-1-02/दस-2017-231/2017, दिनांक- 2 जनवरी, 2017 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या- 8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक-03 अगस्त , 2017 के क्रम में जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिशिर)
विशेष सचिव।

**संख्या-** 246(1)/21-3-2017-18/2016, **तद् दिनांक।**

**प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उ० प्र०, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)द्वितीय , उ० प्र०, इलाहाबाद ।
3. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम, उ० प्र०, इलाहाबाद ।
4. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) द्वितीय, उ० प्र०, इलाहाबाद ।
5. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
6. कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार कलेक्ट्रेट, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7 ।
8. भाषा (उर्दू )अनुभाग-4।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आद्यादत्त त्रिपाठी)
अनुसचिव (भाषा)।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in